संख्याः20/2019/875/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019

प्रेषक,

चारूलता,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2019**

विषयः- वेतन समिति, 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार यूपीनेडा के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को अनुमन्य मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4014/नेडा-ईएस-6(13)/2017, दिनांक 02-11-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के संकल्प संख्या 64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016,दिनांक 16 दिसम्बर 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उक्त संकल्प द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरांत निम्नलिखित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	**मैटिक्स लेवल**	**श्रेणी-अ के नगरों में**	**श्रेणी-ब के नगरों में**	**श्रेणी-स(अवर्गीकृत) के नगरों में**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2200	1100	730
2	2	2320	1160	770
3	3	2400	1200	800
4	4	2940	1470	980
5	5	3340	1660	1110
6	6	4040	2020	1340
7	7	5520	2760	1840
8	8	5620	2810	1870

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	9/10	6300	3150	2100
10	11	7560	3780	2520
11	12	8960	4480	2980
12	13	13820	6910	4600
13	13-क	14560	7280	4860
14	14	16400	8200	5460
15	15	18400	9200	6000
16	16	19700	9850	6500
17	17	21000	10500	7000

*** श्रेणी-अ,ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका**

बुद्ध

श्रेणी	नगरों क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजबाद झॉसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र ।
ब	श्रेणी-'अ' के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चॉदपुर, चन्दौसी, देवबन्द, रूड़की, कैराना, बडौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला-उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टॉडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहॉगीराबाद, उझानी, बहेडी, फरीदपुर बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, कांच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र । लहरपुर, विस्वॉ, महमूदाबाद, ऑवला, सण्डीला, स्योहारा (बिजनौर) अतरौली, गुलावटी (बुलन्द शहर) सरधना, कौशीकलॉ, टुण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी तथा ग्रेटर नोएडा ।
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र ।

2- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

3- संशोधित मकान किराया भत्ता, ऐसे पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे हों।

4- यूपीनेडा के ऐसे कर्मचारी, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हो के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव (शासनादेश निर्गत होने की तिथि) से प्रभावी होंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-10-201/दस-2019 दिनांक 21-06-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
चारूलता
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी, लखनऊ।
3-वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-10
4-वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (02 प्रतियों में)
5-निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चारूलता
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।